न्यायालय :– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम सह विशेष न्यायाधीश,
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम) मधेपुरा।

A.B.P. No-351/2026
Bharrahi P.S. Case No.-278/2025

1. मो0 मजीद उम्र करीब 58 वर्ष पिता– स्व0 मो0 कादीम
2. मो0 रूस्तम उम्र करीब 30 वर्ष पिता– मो0 अजीम
3. मो0 अरमान उम्र करीब 65 वर्ष पिता– मो0 कादीम
4. मो0 इरफान उम्र करीब 32 वर्ष पिता– मो0 अरमान
5. मो0 इवरान उम्र करीब 35 वर्ष पिता– मो0 अरमान
6. मो0 कमाल उम्र करीब 36 वर्ष पिता– मो0 हबिब
7. मो0 जमाल उम्र करीब 38 वर्ष पिता– मो0 हबिब
8. मो0 सुलेमान उम्र करीब 70 वर्ष पिता– मो0 कादीम
9. मो0 अजीज उम्र करीब 60 वर्ष पिता– मो0 कादीम
10. मो0 तवरेज उम्र करीब 23 वर्ष पिता– मो0 कमल

(सभी साकिन –हनुमान नगर चौड़ा, वार्ड संख्या–19, थाना– भर्राही एवं जिला– मधेपुरा।)
.....अभियुक्तगण।

बनाम्

बिहार सरकार .....विपक्षी।

04-06-2026 जमानत आवेदन अभियुक्तगण मो0 मजीद, मो0 रूस्तम, मो0 अरमान, मो0 इरफान, मो0 इवरान, मो0 कमल, मो0 जमाल, मो0 सुलेमान, मो0 अजीज एवं मो0 तवरेज के द्वारा भर्राही थाना कांड संख्या–278/2025 अन्तर्गत धाराऐं 126(2), 115(2), 118(1), 109, 303(2), 352, 351(2)(3) बी.एन.एस में पुलिस द्वारा गिरफ्तारी किये जाने की संभावना से बचने हेतु दंड प्रकिया संहिता की धारा 438 के अन्तर्गत दाखिल किया गया है किंतु अभियुक्त मो0 रूस्तम के गिरफ्तार हो जाने के कारण उनका अग्रिम जमानत आवेदन दिनांक 01.04.2026 को Dissmissed as Infructuous किया गया है तथा केवल मो0 मजीद, मो0 अरमान, मो0 इरफान, मो0 इवरान, मो0 कमाल, मो0 जमाल, मो0 सुलेमान, मो0 अजीज एवं मो0 तवरेज के अग्रिम जमानत आवेदन पर सुनवाई हेतु लंबित है। जमानत आवेदन की प्रति विद्वान लोक अभियोजक श्री पुरूषोतम प्रसाद यादव को दी जा चुकी है।

सूचक थानाध्यक्ष भर्राही विजेन्द्र वर्मा के टंकित आवेदन के आधार पर अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि दिनांक 17.12.2025 को समय करीब 3:00 बजे दिन में अपनी खरीदगी जमीन जिसका खाता संख्या–278, हाल खेसरा–1622, 1623, 1624 को अपने गॉव के के अमीन और कुछ स्थानीय लोगो की मौजुदगी मे नापी करवा रहा था उसी कम मे मो0 मजीद सूचक को जमीन मापी कराने से मना किये तो उसने कहा यह मेरी खरीदगी जमीन है मै इस जमीन का नापी कराउॅगा उसके बाद मो0 मजीद अपने घर के ओर चले गये कुछ ही छन बाद वे मो0 रूस्तम, मो0 अरमान, मो0 इरफान, इवरान, मो0 कमाल, मो0 जमाल, मो0 सुलेमान, मो0 अजीज, मो0 तबरेज के साथ जो घातक हथियारो ओर थ्रीनट से लैस थे उसकी नापी कराने वाले जमीन पर आये मो0 मजीद बोले शाले मनबढ्ढु हो गया है आज मजा चखा देंगे। इतना कहते ही मो0 रूस्तम जान मारने की नियत से अपने हाथ में लिए कुदाल सूचक के सर पर चला दिया उसी कम में जवाहर वर्मा उसका भतीजा उसे बचाने लगा तो उसे भी मो0 इरफान अपने हाथ में लिए धारदार दबिया सर पर मारा जिससे सर कट गया काफी खुन बहने लगा और उसका भाई कपल वर्मा को लोहे के रड से बुरी तरह वे लोग मारपीट किये। मारपीट के कम मे ही उसका भगीना आशीष कुमार का वीवो–35 मोबाईल कीमत 20,000/– रूपया का मो0 इमरान छीन लिया जिसमे 9608038113 व 9572962488 सिम लगा हुआ था उसी

04-06-2026
लगातार.....

कम में सुलेमान थीनट से गोली फायर करते हुए उसके जेब में रखे 3,000/– रूपया छीन लिया तब तक मे गांव के काफी लोग वहां पहुंच गये जिनके पहल से वे लोगो की जान बची उसके बाद सूचक तथा उसके भतीजा को कुछ ग्रामीण द्वारा सदर अस्पताल, मधेपुरा लाया गया जहां सूचक और उसके भतीजा का प्राथमिकी उपचार का बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज, मधेपुरा भेजा गया जहां वे दोनो का इलाज चल रहा है। सूचक के फर्द बयान के आधार पर नामजद अभियुक्त के विरूद्व भर्राही थाना कांड़ संख्या– 278/2025 अन्तर्गत धारा 126(2), 115(2), 118(1), 109, 303(2), 352, 351(2)(3) बी.एन.एस के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज की गयी ।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता श्री संजय कुमार, के द्वारा यह अभिवाचित किया गया कि पूर्व में आवेदकगण की ओर से इससे पहले इस न्यायालय में या माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष कोई जमानत आवेदन दाखिल नही की गई है और न ही उसे खारिज किया गया है। आवेदकगण बिल्कुल निर्दोष है और उन्होंने कोई अपराधा नही किया है जैसा आरोप लगाया गया है। आवेदकगण को स्थानीय ग्रामीण राजनीति और भूमि विवाद के कारण इस मामले में झूठा फंसाया गया है। आवेदकगण के विरूद्ध कोई अपराधिक इतिहास नही है। आवेदकगण अच्छे परिवार के सदस्य है उसके फरार होने की संभावना नहीं है। आवेदक अभियुक्तगण न्यायालय को संतोषप्रद एवं पर्याप्त राशि का बंध–पत्र एवं प्रतिभू दाखिल करने के लिए तैयार है तथा न्यायालय द्वारा अधिरोपित किए जाने वाले सभी शर्तो को मानने के लिए तैयार है। अतः आवेदक अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत की सुविधा दी जाय।

विद्वान लोक अभियोजक श्री पुरूषोत्तम यादव द्वारा जमानत आवेदन पर घोर आपत्ति किया गया।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के उपरांत मेरे द्वारा प्राथमिकी, फर्द बयान मुल अभिलेख एवं कांड़ दैनिकी का अवलोकन किया। आवेदक प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त हैं। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि Victim Jawahar Kumar Verma received lacerated wound 7cm x 1cm over head, referred for CT-scan, injury caused by hard and blunt substance, nature of injury simple. Victim Bijendra Pd. Yadav had lacerated wound 5cm x 1cm over head, CT-scan report called for, injury caused by hard and blunt substance, nature of injury is simple. Both injuries have been directed over the head of the victims which could have life taking intention. I don't think petitioners deserve anticipatory bail in view of the injury over head. However petitioners are directed to surrender before the court below and seek regular bail within 15 days from the receipt of this order. The court below shall consider the regular bail application on its merit without being prejudiced by this order. Thus Anticipatory bail application 351/2026 is accordingly **Disposed off**.

Dictated

(Sanjeev Kumar-II)
District & Additional Sessions Judge-I